संख्या:766 /सत्रह-म-2019.।।-। द(2)/2006

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 22 जुलाई ,2019

विषय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या -166 /नि0शा0/2019-20 दिनांक 17.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुरूप/ अन्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 1,34,014 मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित करने हेतु केन्द्रांश धनराशि रू0 8,04,084/- फिशकोफेड नई दिल्ली (बीमा संस्था) को उपलब्ध करायी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु केन्द्र पुरोनिधानित संदर्भित योजनान्तर्गत रू0 5.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत 83,333 मत्स्य पालकों हेतु धनराशि रू0 5.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 (केन्द्रांश: राज्यांश) के वित्त पोषण के अनुपात में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुरूप/ अन्तर्गत संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों /सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है,जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 2.00 लाख तथा अपंगता की स्थिति में रू0 1.00 लाख के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 1,34,014 मत्स्य पालकों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 8,04,084/- के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 8,04,084/- में से उपलब्ध उक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत 83,333 लाभार्थियों हेतु प्रावधानित बजट रू0 5.00 लाख (रू0 पॉच लाख मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक मत्स्य के निवर्तन पर रखते हुए अवमुक्त/आहरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उपरोक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा किश्त डयू होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2- धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के अहारण व व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019 -20 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर फिशरमैन,0201-मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050 के0+रा0) - 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019 /बी-1-170 /दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में अंकित निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 766 (1)/सत्रह-म-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर सचिव,भारत सरकार कृषि मंत्रालय,पशुधन,डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
3- सम्बंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मर्यादित) नई दिल्ली।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।